छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 30/06/2016

क्रमांक 1090-A/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित सुधार कार्य योजना अंतर्गत निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनाओं में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 1090/371/2016/16 दिनांक 6.6.2016 में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्

//संशोधन//

उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 3. निम्न जोखिम वर्ग में उल्लेखित निरीक्षण "प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 05 प्रतिशत" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये –

"इस श्रेणी के कारखानों/संस्थानों में जिनका श्रम कानूनों के पालन का रिकार्ड अच्छा है उन्हें निरीक्षण से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है, ऐसे कारखाने/संस्थान स्व–प्रमाणीकरण द्वारा श्रम कानूनों का पालन कर सकते हैं।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपालन के नाम से
तथा आदेशानुसार

30/6/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव, श्रम विभाग

पृ.क्रमांक 1090-B/371/2016/16, नया रायपुर, दिनांक 30/06/2016

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।

.....2

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 06.06.2016

क्रमांक 1070/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित सुधार कार्य योजना अंतर्गत निम्न ,मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण हेतु जारी अधिसूचना 537/371/2016/16 दिनांक 11.3.2016 में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. **कारखाने** के स्थान पर **कारखाने/स्थापनों** प्रतिस्थापित किया जाये ।

2. **मध्यम जोखिम वर्ग** में अंकित **''300 या 300 से अधिक''** के स्थान पर **''250 से अधिक''** प्रतिस्थापित किया जाये ।

   निरीक्षण– **''शतप्रतिशत दो साल''** के स्थान पर प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 20 प्रतिशत किया जाये।

3. **निम्न जोखिम वर्ग** में अंकित **''100 अथवा 100 से अधिक किन्तु 300 से कम''** के स्थान पर **''250 तक''** प्रतिस्थापित किया जाये ।

   निरीक्षण– **''शतप्रतिशत पांच साल''** के स्थान पर प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 05 प्रतिशत किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/6/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

/ /अधिसूचना/ /

नया रायपुर, दिनांक 11/03/2016

क्रमांक 537/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुनर्स्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम वर्ग के कारखानें –

उच्च जोखिम–

(अ) कारखानें जो खतरनाक अथवा अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के हैं, वे उच्च जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

(ब) कारखानें जो खतरनाक न हों, परंतु वे जहां पर तालाबंधी, हड़ताल अथवा दुर्घटना हुआ हो ।

निरीक्षण– उपरोक्त "अ" एवं "ब" वर्ग कारखाना हेतु निरीक्षण प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत किया जाना है।

मध्यम जोखिम–

कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 300 या 300 से अधिक श्रमिक हो किन्तु जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे मध्यम जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

निरीक्षण–इस मध्यम जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत दो साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है ।

निरंतर.....2

निम्न जोखिम–

कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 100 अथवा 100 से अधिक किन्तु 300 से कम श्रमिक हो एवं जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे निम्न जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

निरीक्षण– इस निम्न जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत पांच साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 538 / 371 / 2016 / 16 नया रायपुर, दिनांक 11 / 03 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. स्टॉफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
5. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी कार्यालय...
7. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय जिला–...
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 06.06.2016

क्रमांक 1090/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित सुधार कार्य योजना अंतर्गत निम्न ,मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण हेतु जारी अधिसूचना 537/371/2016/16 दिनांक 11.3.2016 में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. **कारखाने** के स्थान पर **कारखाने/स्थापनों** प्रतिस्थापित किया जाये ।

2. **मध्यम जोखिम वर्ग** में अंकित **"300 या 300 से अधिक"** के स्थान पर **"250 से अधिक"** प्रतिस्थापित किया जाये ।

   निरीक्षण– **"शतप्रतिशत दो साल"** के स्थान पर प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 20 प्रतिशत किया जाये।

3. **निम्न जोखिम वर्ग** में अंकित **"100 अथवा 100 से अधिक किन्तु 300 से कम"** के स्थान पर **"250 तक"** प्रतिस्थापित किया जाये ।

   निरीक्षण– **"शतप्रतिशत पांच साल"** के स्थान पर प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 05 प्रतिशत किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/6/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव,श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक 11/03/2016

क्रमांक 537/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों के लिए स्वअभिप्रमाणन की अनुमति देने की व्यवस्था निरूपित करने/अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है । इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण की व्यवस्था के पुनर्स्थापन/पुनर्विचारण के प्रयोजनार्थ निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

उच्च/मध्यम/निम्न जोखिम वर्ग के कारखानें –

उच्च जोखिम–

(अ) कारखानें जो खतरनाक अथवा अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के हैं, वे उच्च जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

(ब) कारखानें जो खतरनाक न हों, परंतु वे जहां पर तालाबंधी, हड़ताल अथवा दुर्घटना हुआ हो ।

निरीक्षण– उपरोक्त "अ" एवं "ब" वर्ग कारखाना हेतु निरीक्षण प्रत्येक वर्ष शतप्रतिशत किया जाना है।

मध्यम जोखिम–

कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 300 या 300 से अधिक श्रमिक हो किन्तु जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे मध्यम जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

निरीक्षण–इस मध्यम जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत दो साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है ।

निरंतर.....2

निम्न जोखिम–

कारखानें जो खतरनाक प्रकृति के न हों परंतु 100 अथवा 100 से अधिक किन्तु 300 से कम श्रमिक हो एवं जहां पर किसी भी प्रकार दुर्घटना, हड़ताल अथवा तालाबंदी न हुआ हो वे निम्न जोखिम वर्ग के अंतर्गत होंगे।

निरीक्षण– इस निम्न जोखिम वर्ग के कारखानों का निरीक्षण शतप्रतिशत पांच साल के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9/3/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 538 / 371 / 2016 / 16 नया रायपुर, दिनांक 11 / 03 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर।
2. स्टॉफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
5. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
6. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी कार्यालय..
7. समस्त उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय जिला–...
8. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9/3/16
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन, श्रम विभाग